तारीख हुक्म	प्रार्थना पत्र 05/2020 (2020/00429) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती राजू उर्फ रानी V/S श्रीमती नगीना देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/9/2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेज रेकार्ड पर लेने हेतु का अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं ~~[illegible]~~ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लिया जाता है।	
	अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गयी। जवाब शामिल मिसल किया जावे। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने से बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मेमो के निर्णय में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है, तब तक विपक्षीगण गैर बहस आराजीयात को खुर्द-बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे, उपयोग-उपभोग में बाधा नहीं डाले, इसके लिए विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश फरमावें। अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण गैर बहस आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है, जिससे विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] को आदेश फरमावें।	
	इसके पत्रावली का [illegible] कर अधिवक्ता उभय पक्ष [illegible] पर ---- लगातार	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:45:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गहनता से मनन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दलीलों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि अपील प्रकरण संख्या 05/2020 (2020/00433) के निर्णय तक ग्राम खैरख्य प०ह० बिजयपुर स्थित विवादित आराजी संख्या 204, 205, 206, 207 कीता 4 कुल रकबा 2.53 है० को किसी अन्य को विक्रय-रहन-बक्षीस न करें एवं प्रार्थीया के कब्जे, उपयोग-उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं अपील प्रकरण संख्या 05/2020 के साथ संलग्न की जावे। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.19 14:45:12 IST
Reason: SelfAttested